27/12/19 पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। प्रकरण में बहस वकुलाय उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। दरखास्त बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रा०पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रा०पत्र स्वीकार कर मूल वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश फरमाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब प्रा०पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रा०पत्र सव्यय खारिज फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली, ~~का~~ व पत्रावली के संलग्न मूल वादपत्र का अवलोकन किया गया। चूंकि मूल वादपत्र में अप्रार्थीगण(के हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी) बावजूद सम्यक तामिल हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में ली जाकर निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी थी। हस्तगत प्रकरण में वकील प्रार्थी ने ऐसा कोई सारयुत तथ्य अथवा साक्ष्य/सबूत/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रार्थी का मूल वादपत्र में बावजूद सम्यक तामिल हाजिर अदालत नहीं आने को युक्तियुक्त कारण प्रलक्षित होता हो। अतः प्रा०पत्र अन्तर्गत O.9, R.13 CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (रणजीत सिंह) सहायक कलक्टर RAS (फास्ट ट्रेक) खण्डेला

Scanned with CamScanner